राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)

टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stp.lsg407@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :F.59 STP/DLB/ Mount Abu_Bbl( )/16/ 6871 **दिनांक :–** 27.12.19

–: अधिसूचना :–

राज्य सरकार द्वारा माउण्ट आबू (ईको–सेन्सिटिव जोन) भवन विनियम, 2019 अधिसूचना क्रमांक एफ.59 एसटीपी/डीएलबी/Mount Abu_Bbl( )/4474 दिनांक 09.03.2019 द्वारा अधिसूचित किये जा चुके है। माउण्ट आबू (ईको–सेन्सिटिव जोन) भवन विनियम, 2019 के विनियम संख्या 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माउण्ट आबू (ईको–सेन्सिटिव जोन) भवन विनियम, 2019 के निम्न बिन्दुओं को निम्नानुसार संशोधित/पुर्नस्थापित किया जाता है :–

1. **तालिका संख्या 1 के नोट क्रमांक 01:**–गैर योजनागत सघन आबादी एस–2 क्षेत्र के स्वरूप व विद्यमान भवन रेखा की निरन्तरता के दृष्टिगत वर्तमान विद्यमान भवन को तोड़कर नया भवन प्रस्तावित किये जाने पर वर्तमान (पूर्व से निर्मित) भवन की भवन रेखा के अनुसार अनुमति दी जा सकेगी। एस–1, एस–3 व एस–4 में निर्माण पर सैटबेक तालिका–1 के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा।
2. **तालिका 1 के नोट क्रमांक 02 :–** माउण्ट आबू (ईको–सेन्सिटिव जोन) के सभी क्षेत्रों (एस–1, एस–2, एस–3 तथा एव–4) में अधिकतम बी.ए.आर. तालिका 1 में निर्धारित उंचाई व अन्य मापदण्ड़ों के अनुसार जो भी प्राप्त हो अनुज्ञेय की जा सकेगी। साथ ही सभी उपयोगों हेतु मानक बी.ए.आर. 2.0 (रिसोर्ट एवं मोटल हेतु 0.60) निर्धारित किया जाकर इससे अधिक बी.ए. आर. हेतु बैटरमेंट लेवी देय होगी।
3. **विनियम संख्या 7.2.9 (iv) ऊंचाई:**–भवन की अधिकतम उंचाई/अथवा मंजिलों की संख्या का निर्धारण भूखण्ड़ पर प्रस्तावित प्लिन्थ लेवल से किया जावेगा अर्थात किसी ढलाननुमा भूखण्ड जिसके पृथक–पृथक भागों में भूमि का लेवल पृथक–पृथक हो तो ऐसे भूखण्ड़ पर प्रस्तावित भवन ईकाइयों में प्रस्तावित पृथक–पृथक प्लिन्थ लेवल के उपर अनुज्ञेय मंजिले व उंचाई अनुज्ञेय होगी।
4. अन्य समस्त मानदण्ड माउण्ट आबू (ईको–सेन्सिटिव जोन) भवन विनियम, 2019 अनुसार यथावत रहेगें।

27/1

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :F.59 STP/DLB/ Mount Abu_Bbl( )/16/ 6872–85 **दिनांक :–** 27.12.19

प्रतिलिपी निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
7. जिला कलक्टर, सिरोही।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।

9. आयुक्त, नगर पालिका, आबू पर्वत।
10. क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियाजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
12. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है, कि राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
13. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को स्वायत्त शासन विभागकी वेबसाईट पर अपलोड करावें।

27/12/19

(रवि राय वर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक